

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्र. एफ-1-6-2010-एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन, कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 2 में, अनुक्रमांक उनसठ तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“साठ—अपरम्परागत ऊर्जा विभाग.”

2. अनुसूची में,—

(एक) शीर्षक “तेरह—ऊर्जा विभाग” के अधीन, भाग (अ) में, शीर्षक “विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय” के अधीन अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाए;

(दो) शीर्षक “उनसठ” के पश्चात् निम्नलिखित नया शीर्षक, भाग तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

“साठ—अपरम्परागत ऊर्जा विभाग

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. अपरम्परागत ऊर्जा के संसाधनों का विकास एवं प्रचार-प्रसार.
2. ऊर्जा के वैकल्पिक साधन जिसमें बायोगैस सम्मिलित है.
3. ऊर्जा संरक्षण कार्य.
4. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ.—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

- (A) Matters of Policy dealt within the Department :
1. Development and publicity of non conventional energy resources.
 2. Alternet sources of energy including Bio-Gas.
 3. Energy conservation work.
 4. All matters relating to the services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department), e.g. appointments, postings, transfers, pay leave, pension, promotions, provident funds, deputations, punishments and memorials.
- (B) Acts and rules administred by the Department :
1. Energy Conservation Act, 2001 (only related to renewable sources of energy)
- (C) Directorates and offices coming under the Department :
- Nil.
- (D) Boards and Corporations set up under Acts :
1. Madhya Pradesh Energy Development Corporation.
- (E) Other institution and bodies not covered under (D) above :
- Nil.
- (F) Name of the Service, if any, coming under the Department and special service matters, if any :
- Nil.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRADEEP KHARE, Secy.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (केवल ऊर्जा के नवीकरणीय साधनों से संबंधित)

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

कुछ नहीं.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित बोर्ड तथा निगम :

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :

कुछ नहीं.

(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :

कुछ नहीं."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए-1-6-2010-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-1-6-2010-एक (1), दिनांक 28 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 28th April 2010

No. F 1-6-2010-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 2, after serial number LIX and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be added, namely :—
“LX Non-conventional Energy Department”.
2. In the Schedule,—
(i) under the heading “XIII- Energy Department”, in part (A), under the heading “Matters of Policy dealt within the Department”, serial number 3 and entry relating thereto shall be omitted;
(ii) after heading LIX the following new heading, parts and entries shall be added, namely :—

“LX- NON-CONVENTIONAL ENERGY DEPARTMENT